

**बाल अधिकार शिक्षा कार्यक्रम के बारे में अभिभावकों के लिए आसान भाषा में जानकारी**

दिनांक: 23.08.21

प्रिय माता-पिता और अभिभावक,

बच्चों के लिए स्कूल एक खास जगह होते हैं। वहाँ पर वे पढ़ना और लिखना सीखते हैं। और जीवन के अनुभव जुटाते हैं, वे वहाँ दोस्त बनाते हैं, सफलता का स्वाद चखते हैं, और कभी-कभार, निराशाओं का सामना भी करते हैं।

बालिकाएँ और बालक अपने स्कूल में काफी समय बिताते हैं।

इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे वहाँ पर ठीक रहें:

- बच्चों को स्कूल में अच्छा लगना चाहिए,
- यह महत्वपूर्ण है कि बड़े उनकी बात सुनें और
- बच्चों को स्कूल में सुरक्षित और निश्चित होना चाहिए।

आपके बच्चे का स्कूल इन सभी चीजों में और भी बेहतर करना चाहता है। शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन ने इसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है। यूनिसेफ इसमें उनकी मदद कर रहा है।

आपकी बेटी या आपका बेटा जल्द ही अपने स्कूल में बच्चों के अधिकारों के बारे में और जानकारी पाएंगे। जर्मनी में और पूरी दुनिया में, ये विशेष अधिकार सभी बालिकाओं और बालकों के पास होते हैं। इन सभी अधिकारों का वर्णन संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन नामक दस्तावेज में किया गया है।

बड़ों को भी अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग करे: उसे अपनी बात रखनी चाहिए और शिक्षकों को उसकी बात को तवज्जो देनी चाहिए। आपके बच्चे को अधिकार है कि फैसलों में उसका दखल हो और उनके बारे में उसे बताया जाए। और यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे, उनके साथ पढ़ने वाले दूसरे बच्चे और शिक्षक-शिक्षिकाएँ एक दूसरे की बात अच्छी तरह सुनें और एक-दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। इससे पढ़ाई मजेदार बनती है और इतनी बोझिल नहीं लगती।

आप क्या कर सकते हैं? अपने बच्चे से बाल अधिकारों के बारे में पूछें। उनसे इनके बारे में बात करें। उदाहरण के तौर पर, आप उनसे पूछ सकते हैं: क्या तुमने बच्चों के अधिकारों के बारे में सुना है? या फिर: कौन सा अधिकार तुम्हें खास तौर पर महत्वपूर्ण लगता है?

आप अपने स्कूल की मदद कर सकते हैं। कृपया साथ में दी गई प्रश्नावली को भरें और इसे अपने बच्चे के स्कूल में जमा करें। धन्यवाद!

शुभकामनाओं सहित

किस्टिन लेयेनडेकर

संयोजक, बाल अधिकार शिक्षा कार्यक्रम

यूनिसेफ जर्मनी

### संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन क्या है?

इस कन्वेंशन में बच्चों के सभी अधिकारों का वर्णन है। दुनिया के लगभग सभी देशों ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत वे बच्चों और उनके अधिकारों का समर्थन करने के लिए वचनबद्ध हैं। कन्वेंशन में कुल 54 अनुच्छेद हैं। इनमें कहा गया है:

- सभी बच्चे समान हैं, चाहे उनका लिंग, उत्पत्ति या रंग कुछ भी हो।
- बच्चों का कल्याण महत्वपूर्ण है। दुनिया के प्रत्येक बालक और प्रत्येक बालिका यथासंभव अच्छे से अच्छा समर्थन मिलना चाहिए।
- बच्चों की जीवन जीने और आगे बढ़ने का अधिकार है।
- बच्चों की राय को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

क्या आपका अन्य कोई प्रश्न है? तो कृपया संपर्क करें: [kinderrehteschulen@unicef.de](mailto:kinderrehteschulen@unicef.de)।

कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए [unicef.de/kinderrehteschulen](http://unicef.de/kinderrehteschulen) पर जाएँ।

कृपया

- प्रश्नावली को भरें और
- इसे स्कूल में जमा करें

धन्यवाद!